संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
मध्यप्रदेश

कमांक 4/रा0ब0सहा0निधि/2013 337 भोपाल,दिनांक 23/08/2013
प्रति,

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
मध्यप्रदेश।

विषयः— राज्य बीमारी सहायता निधि एवं मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना के अन्तर्गत उपचार राशि/उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने के संबध में।

—00—

उपरोक्त विषय में लेख है कि प्रदेश में राज्य बीमारी सहायता निधि एवं मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना का संचालन किया जा रहा है। जिलों द्वारा दोनों योजनाओं हेतु बजट की मांग सतत् की जाती है, लेकिन पूर्व प्रदाय राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपचार कराने वाली संस्था से प्राप्त नही किया जाता है। इसके संबंध में महालेखाकार (ए.जी.एम.पी) ग्वालियर द्वारा इस गंभीर वित्तीय अनियमितता की आडिट आपत्ति ली है। प्रत्येक हितग्राही/रोगी के उपचार/आपरेशन पश्चात् शेष बची राशि, उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं डिस्चार्ज टिकिट संबंधित चिकित्सा संस्था से तत्काल प्राप्त किये जाने चाहिए एवं जो रोगी राशि स्वीकृति के बाद 3—4 माह तक उपचार कराने नही जाता है, तो उसकी राशि भी संबंधित चिकित्सा संस्था से वापस प्राप्त की जावे।

उपरोक्त के संबंध में आपको निर्देश दिये जाते है कि जिन संस्थाओं ने वर्ष 2012—13 एवं इसके पूर्व के प्रकरणों का उपयोगिता प्रमाण पत्र, एवं राशि नही भेजी है, ऐसी संस्थाओं की मान्यता समाप्त करने हेतु प्रस्ताव संचालनालय को विशेष वाहक के हस्ते अधोहस्ताक्षरकर्ता को दिनांक 30.08.2013 तक भेजना सुनिश्चित करें।

वर्ष 2013—14 के दौरान स्वीकृत राशि में से 75% राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्रों की छायाप्रति आपके द्वारा संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं को नही भेजी जाती है, तो आपको आगे बजट प्रदाय नही किया जा सकेगा।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित

संचालक (रा0बी0सहा0निधि)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं,म.प्र.

पृ0कमांक 4/रा0ब0सहा0निधि/2013 भोपाल,दिनांक /08/2013
प्रतिलिपिः— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल म.प्र.।
2. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, म.प्र.।
3. संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (बजट) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, म.प्र.।
4. समस्त संभागीय आयुक्त (राजस्व) म.प्र.।
5. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाऐं, म.प्र.।
6. समस्त अधिष्ठाता शासकीय चिकित्सा महाविधालय म.प्र.।
7. समस्त कलेक्टर, म.प्र.।

संचालक(रा0बी0सहा0निधि)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं,म.प्र.